29/4/[illegible] पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील श्री [illegible] वादी का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः TI प्रारम्भ चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली रिकॉर्ड वास्ते नकल ली जाकर आगामी [illegible] हो।